विज्ञापन

"महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार"

हरियाणा राज्य में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक, बराबर और सपोर्टिव वर्कप्लेस माहौल बनाने में बेहतरीन प्रैक्टिस दिखाने वाली संस्थाओं को पहचान देने के लिए "महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू की गई है इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है:-

- पूरे हरियाणा में सुरक्षित, सम्मानजनक, लिंग संवेदनशील कार्यस्थलों को बढ़ावा देना।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013(पो.ओ.एस.एच. अधिनियम) के प्रावधानों की अनुपालना को प्रोत्साहित करना।
- रोजगार और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- महिला हितैषी कार्यस्थल नीतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना, जिनमें बाल देखभाल सहायता, लचीली कार्यव्यवस्था और शिकायत निवारण तंत्र शामिल है।
- राज्यव्यापी महिला- अनुकूल कार्यस्थल रेटिंग ढांचा विकसित करना।
- कार्यस्थल पर लैंगिक समावेशन शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को मान्यता देना।

योजना का दायरा:-

यह योजना हरियाणा राज्य के भीतर संचालित सभी पात्र संस्थानों पर लागू होगी:-

- सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम और आयोग
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- स्वायत निकाय
- निजि कम्पनियां
- औद्योगिक ईकाईयां
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम०एस०एम०ई०)
- शिक्षण संस्थानें
- अस्पताल और सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठान
- महिला कार्यबल को नियोजित करने वाले गैर सरकारी संगठन

हरियाणा राज्य में "**महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना**" के तहत महिला कर्मचारियों के लिए किये गये अच्छे कार्य हेतु संस्थाओं को दिये जाने वाले अवार्ड का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

Category	Number of Awards	Budget
Government Institutions	05	₹4.75 lakh
Private Sector/ Industry	05	₹4.75 lakh
MSMEs	05	₹4.75 lakh
Educational Institutions	05	₹4.75 lakh
NGOs/Service Sector	05	₹4.75 lakh
Total	25	₹23.75 lakh

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 20.09.2026

ऑनलाइन आवेदन एवं Evaluation Framework हेतु लिंक :

https://mahilasamarth-wcdhry-gov-in (अथवा वास्तविक पोर्टल लिंक)

आवेदन प्रक्रिया :

महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार पोर्टल पर दिनांक 20.08.2026 से 20.09.2026 तक किए जा सकेंगे। आवेदन प्रपत्र, Evaluation Framework, पात्रता, दिशा-निर्देश, नियम एवं शर्तें विभागीय वेबसाइट www-wcdhry-gov-in पर उपलब्ध हैं।

आवश्यक निर्देश:

- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
- निर्धारित अंतिम तिथि 20.09.2026 के उपरांत प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- डाक, स्पीड पोस्ट, कूरियर अथवा किसी अन्य ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अथवा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप न होने वाले आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किए जा सकते हैं।
- विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन अथवा आवेदन प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

संयुक्त निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा,
बेज न0 15-20, सैक्टर-4, पंचकूला

PRDH: 1128/11/696/2027/47968/1/4
Dt: 07/08/2026